बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांक :–DOH/CS/160/2025- बी०सी०एम०-210- /पटना दिनांक 5/03/ 2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) के प्रोत्साहन की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1400.50 लाख (चौदह करोड़ पचास हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) के प्रोत्साहन की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1400.50 लाख (चौदह करोड़ पचास हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उच्च तकनीक बागवानी को बढ़ावा देना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। प्लास्टिक मल्चिंग के उपयोग से जमीन में नमी बनाये रखने, खर–पतवार से फसलों की सुरक्षा करने एवं मृदा क्षरण को रोकने में मदद मिलती है।

पॉली हाउस में सर्कुलेशन फैन का उपयोग तापमान, आर्द्रता एवं CO_2 के स्तर को नियंत्रित करने, कीटों एवं बीमारियों को रोकने और पौधों की वृद्धि बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन से ग्रामीण बेरोजगार पुरूष एवं महिलाओं के बीच स्वरोजगार का सृजन तथा बाजार में उद्यमियों के माँग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण फल, फूल एवं सब्जियों का उत्पादन एवं तद्नुरूप उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा।

3. योजना का घटकवार विवरण निम्नवत् है :–

(क) **प्लास्टिक मल्चिंग** घटक का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जायेगा। प्लास्टिक मल्च अवयव के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत 40,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिसपर 50 प्रतिशत अनुदान यानि 20,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर एकमुश्त दिया जायेगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

(ख) **सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस** घटक का लक्ष्य मुख्यालय स्तर पर संधारित रखी गयी है। जिला से माँग के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस अवयव के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत 5,000.00 रूपये प्रति फैन है, जिसपर 50 प्रतिशत अनुदान यानि 2,500.00 रूपये प्रति फैन एकमुश्त दिया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

Richa

D:\Sarita\Yojna 25-26\Richa Kr\Sanction\plastic mulch 1400 Lakh.docx

4. भारत सरकार के पत्र संख्या--03/03/2025-KY दिनांक 01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक-28.04.2025 को स्वीकृत 10833.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार के पत्र संख्या-03/03/2025-KY दिनांक-17.03.2025 से अनुमोदन प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र संख्या-113 (BR 114) दिनांक-19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

5. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की संशोधित कार्य योजना पर State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक-26.12.2025 को अनुमोदन प्राप्त है, जिसके आलोक में योजना की स्वीकृति दी जा रही है। संशोधित कार्य योजना के अनुसार संरक्षित खेती अवयव अंतर्गत 7000 हेक्टेयर के लिए प्लास्टिक मल्चिंग एवं 20 सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस के लिए योजनान्तर्गत कुल 1400.50 लाख रूपये की State Level Sanctioning Committee (SLSC) की दिनांक-26.12.2025 की बैठक में अनुमोदन प्राप्त की गयी है।

6. इस योजना को भारत सरकार के पत्रांक-03/03/2025-KY दिनांक-17.03.2025 के अनुरूप निर्धारित वार्षिक Outlay के अधीन एवं निर्धारित सहायतानुदान के अनुसार तैयार की गई है।

7. योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए इकाई दर का निर्धारण एम.आई.डी.एच. गाईड-लाईन के अनुरूप किया गया है।

8. योजनान्तर्गत स्वीकृत घटक की प्रावधानित अनुदान राशि की विमुक्ति नियमानुसार सत्यापनोपरान्त जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा पर की जाएगी। सभी रिकॉर्ड का संधारण कार्यान्वयन एजेंसी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9. **योजना का कार्यान्वयन :-**

(क) **आवेदकों का चयन** :-विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार कर कृषकों से Online आवेदन लिया जायेगा। प्राप्त आवेदन के चयन की प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन अनुदेश द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचित किया जायेगा। विज्ञापन की प्रति चयनित जिलों में स्थापित जिला कृषि कार्यालयों/जिला उद्यान कार्यालयों/प्रखंड विकास कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित कराये जायेंगे, ताकि कृषकों की अधिकत्तम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी कृषकों को विभाग के Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा। जिला उद्यान पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

(ख) योजना के तहत् सभी जिलों में संरक्षित खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्रों को चिन्हित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना का संचालन जिला उद्यान पदाधिकारी के देख-रेख में कराया जायेगा।

(ग) जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिए मार्ग निर्देशन करेंगे। मिशन निदेशक योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं प्रधान सचिव/सचिव, कृषि को कार्यक्रम की प्रगति से अवगत करायेंगे।

Richa

(घ) बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला उद्यान पदाधिकारी है।

10. सरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिग एव सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर जिला उद्यान पदाधिकारी करेंगे।

11. एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में (60:40) अंतर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा केन्द्रांश की राशि अनुसूची–2 एवं 3 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को Virtual Allotment के तहत आवंटित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–2 के अनुसार केन्द्रांश में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा केन्द्रांश की राशि के विरूद्ध Claim Raise करने के उपरान्त Reporting Office द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

12. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA SPARSH) के रूप में निदेशक उद्यान, बिहार, पटना दायित्व का निर्वहन करेंगे।

13. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरुप किया जायेगा।

14. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग के लिए 83.903 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15.00 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.097 प्रतिशत अनुपात में किया जायेगा। लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

16. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप निदेशक उद्यान, बिहार–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

17. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा पत्रांक–ब0–15/बी0एस0 जी0–57/25/–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

19. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर किया जा सकेगा।

20. निदेशक उद्यान, बिहार योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे और समय–समय पर योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे।

21. योजना अन्तर्गत उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1. केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	7075.52	1175.06152
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस.कोड– 4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1470.72	210.07500
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01– 2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31 –06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	107.59	15.36348
योग	**8653.83000**	**1400.50000**
प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश मद से स्वीकृत की गई राशि	**13.1700**	-
सकल योग	**8667.00000**	**1400.50000**

22. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक–09.02.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तदोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–917 दिनांक–01.12.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–20.02.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DOH/CS/160/2025 के पृ०सं०–36/टि० पर दिनांक–27.02.2026 को प्राप्त है।

23. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Richa

D:\Sarita\Yojna 25-26\Richa Kr\Sanction\plastic mulch 1400 Lakh.docx

24. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति संचिका संख्या–DOH/CS/160/2025 के पृ०सं०–35/टि० पर दिनांक–25.02.2026 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–123 दिनांक–25.02.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : निदेशक, बामेती/निदेशक, पी०पी०एम०/जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/160/2025-पी०पी०एम०-210- /पटना दिनांक 05/03/ 2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

219

173

अनुसूची–1						
वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) के प्रोत्साहन की योजना						
क्र० सं०	अवयव का नाम	इकाई लागत	सहायतानुदान की राशि	प्रति हेक्टेयर अनुदान की राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०/सं० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	प्लास्टिक मल्चिंग	Rs. 40,000/ हेक्टेयर	50%	Rs. 20,000/ हेक्टेयर	7000.00	1400.00
2	सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस	Rs. 5,000/ फैन	50%	Rs. 2,500/ फैन	20.00	0.50
				कुल योग	**7020.00**	**1400.50**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

वित्त[illegible] 2025–26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) के प्रोत्साहन की योजना

(भौतिक लक्ष्य हे०/संख्या एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	मल्चिंग हेतु कर्णांकित लक्ष्य		सर्कुलेशन फैन हेतु कर्णांकित लक्ष्य		कुल लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक	वित्तीय
1	2	9	10	11	12		
1	पटना	400	80.000			400	80.000
2	भोजपुर	100	20.000			100	20.000
3	नालन्दा	400	80.000			400	80.000
4	बक्सर	100	20.000			100	20.000
5	रोहतास	300	60.000			300	60.000
6	कैमूर	100	20.000			100	20.000
7	गया	100	20.000			100	20.000
8	नवादा	100	20.000			100	20.000
9	औरंगाबाद	400	80.000			400	80.000
10	जहानाबाद	100	20.000			100	20.000
11	अरवल	100	20.000			100	20.000
12	पश्चिमी चम्पारण	200	40.000			200	40.000
13	पूर्वी चम्पारण	200	40.000			200	40.000
14	मुजफ्फरपुर	200	40.000			200	40.000
15	सीतामढ़ी	100	20.000			100	20.000
16	शिवहर	100	20.000			100	20.000
17	वैशाली	400	80.000			400	80.000
18	सहरसा	100	20.000			100	20.000
19	मधेपुरा	400	80.000			400	80.000
20	सुपौल	100	20.000			100	20.000
21	जमुई	100	20.000			100	20.000
22	खगड़िया	100	20.000			100	20.000
23	लखीसराय	100	20.000			100	20.000
24	बेगूसराय	400	80.000			400	80.000
25	शेखपुरा	100	20.000			100	20.000
26	मुंगेर	100	20.000			100	20.000
27	भागलपुर	100	20.000			100	20.000
28	बांका	100	20.000			100	20.000
29	पूर्णियाँ	100	20.000			100	20.000
30	कटिहार	100	20.000			100	20.000
31	अररिया	100	20.000			100	20.000
32	किशनगंज	100	20.000			100	20.000
33	सारण	200	40.000			200	40.000
34	सिवान	200	40.000			200	40.000
35	गोपालगंज	200	40.000			200	40.000
36	दरभंगा	400	80.000			400	80.000
37	मधुबनी	100	20.000			100	20.000
38	समस्तीपुर	400	80.000			400	80.000
39	उद्यान निदेशालय (मुख्यालय), पटना			20	0.500	20	0.500
	कुल योग	**7000**	**1400.000**	**20**	**0.500**	**7020**	**1400.500**

217

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत संरक्षित खेती (प्लास्टिक मल्चिंग एवं सर्कुलेशन फैन इन पॉली हाउस) के प्रोत्साहन की योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (83.903%)	अनुसूचित जाति (15%)	अनुसूचित जनजाति (1.097%)	कुल योग
1		3	4	5	6
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	50.34180	9.00000	0.65820	60.00
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
20	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
21	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
22	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
23	जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
24	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
25	जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
26	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
27	जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
28	जिला उद्यान पदाधिकारी, बांका	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
29	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
30	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
31	जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
32	जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
33	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
34	जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
35	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	33.56120	6.00000	0.43880	40.00
36	जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
37	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी	16.78060	3.00000	0.21940	20.00
38	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	67.12240	12.00000	0.87760	80.00
39	निदेशक उद्यान, बिहार	0.41952	0.07500	0.00548	0.50
	कुल योग	**1175.06152**	**210.07500**	**15.36348**	**1400.50**

(देव नारायण महतो)

(अभिषेक कुमार)